

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-82/2015/11/(6)

नया रायपुर दिनांक 24-09-2015

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित “परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना” को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2014 से प्रभावी “छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014” निम्नानुसार लागू करता है :—

**1— परिचय :-**

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना में लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूँजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय, निर्यातक उद्योग तथा महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं निःशक्त वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2014-19 में “परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना” को पुनः लागू किया गया है।

**2— नियम :-**

ये नियम “छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014” कहे जावेंगे।

**3— प्रभावी दिनांक:-**

ये नियम दिनांक 01.11.2014 से प्रभावी माने जावेंगे।

**4— परिभाषाएँ :-**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, विकलांग/निःशक्त उद्यमी, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार “कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों”, “राज्य के मूल निवासी”, परियोजना प्रतिवेदन एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वही होंगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 पर अधिसूचित की गई है।

**5— पात्रता :-**

5.1— औद्योगिक नीति 2014-19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले “उपाबंध-2” में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर, शेष समस्त नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी।

**5.2—** पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात् वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं होंगे। यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति/नीति की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी ।

**5.3—** यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करना होगा ।

सेवा उद्यमों यथा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण, फिल्म उद्योग से संबंधित प्रकरणों में वाणिज्यिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से उपरांकित शर्त का पालन करना होगा ।

**5.4—** उद्योग स्थापित होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

**5.5—** राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिंग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुमोदित कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

**5.6—** अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त किये जाने पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

**5.7—** औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2009 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायरेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2014–2019 के अन्तर्गत (उपांध–2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने एवं ग्राह्य होने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

**5.8—** लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भाँति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन कंडिका 8 “अनुदान की मात्रा” शीर्षक के तहत अनुदान की पात्रता होगी ।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 20-120/2009/11/(6) दिनांक 6 जनवरी 2012 के मापदण्ड लागू होंगे।

5.9— औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित समस्त गतिविधियों (फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर प्रावधानित अनुदान की पात्रता कंडिका 8 “अनुदान की मात्रा” शीर्षक के तहत होगी।

6— परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :-

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग / उद्योग संचालनालय / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिंग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की सूची संधारित की जावेगी जिसमें उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर द्वारा ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक कंसल्टेंट भी सम्मिलित होंगे।

मान्यता प्राप्त व्यवसायिक कंसल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नहीं है तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / उद्योग संचालनालय / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिंग पर या मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा, ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी।

7— प्रक्रिया व अधिकार :-

7.1 औद्योगिक इकाईयों को “उपाबंध 1” अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पूर्ण आवेदन मय निम्नांकित अभिलेखों में करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद “उपाबंध 4” में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी जिसमें आवेदन के पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। अपूर्ण प्रकरण एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे व प्रकरण पूर्ण होने के उपरांत आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी।

- (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट-1 / आई0ई0एम0 / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो )
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
- (3) “उपाबंध-3” में निर्धारित प्रारूप पर व्ययों से संबंधित चार्टड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र।
- (4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद।
- (5) परियोजना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।

(6) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों का संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख ।

**7.2** औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

**7.3** मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में “उपाबंध 5” के अनुसार स्वत्व का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर स्वत्व के नियमानुसार होने पर “उपाबंध 6” में निर्धारित प्रारूप पर “स्वीकृति आदेश” जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा। निर्धारित अवधि के भीतर क्लेम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने पर स्वत्व निरस्त किया जावेगा ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरणों के पंजीयन के आधार पर प्रकरणों पर विचार करते हुए निर्णय लिया जावेगा, अर्थात् पंजीयन क्र. 1, 2, 3, .....

**7.4** राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

**7.5** स्वीकृति ओदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा परियोजना प्रतिवेदन अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

**7.6** बजट आवंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को “अनुदान स्वीकृति” के दिनांक के क्रम में किया जावेगा । अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जावेगी ।

**7.7** परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का आवंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

**7.8** बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

#### **8— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्रा:-**

पात्र सामान्य एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत निम्नानुसार मात्रा में परियोजना प्रतिवेदन अनुदान दिया जावेगा :-

#### **8.1 नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग —**

क्षेत्र	दर व मात्रा
श्रेणी अ— औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—7 के	(1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 1.00 लाख ) (2)— अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.)/ निर्यातक उद्योगों/ विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 1.05 लाख )

अनुसार)	<p>(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 1.10 लाख )</p> <p>(4)–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 1.50 लाख )</p>
श्रेणी ब— औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 परिशिष्ट–8 अनुसार)	<p>(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख )</p> <p>(2)– अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.)/ निर्यातक उद्योगों/ विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 2.10 लाख )</p> <p>(3)– महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 2.20 लाख )</p> <p>(4)–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रु0 2.50 लाख )</p>

8.2 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज पर भी उपरोक्तानुसार निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान देय होगा।

8.3 औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना तथा फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर भी निवेशक के वर्ग हेतु निर्धारित दर पर व अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान देय होगा।

#### **9— अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

- (1) औद्योगिक इकाई को परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।
- (2) उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

#### **10— “परियोजना प्रतिवेदन अनुदान” की वसूली :—**

10.1— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एकमुश्त वसूल की जा सकेगी ।

10.2— उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

10.3— स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर/ नियम की किन्हीं शर्तों का पालन भविष्य न किये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

10.4— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कार्डिका क्रमांक 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है। अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वसूली की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

10.5— यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक से वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

10.6— उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

10.7— यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

10.8— उपर्युक्त बिन्दु 10.1 से 10.7 के अनुसार यथारिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाएँगे ।

## 11— अपील/वाद :-

11.1— मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी ।

11.2— अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

11.3— सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

11.4— अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

11.5— अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

**12— स्वप्रेरणा से निर्णय :-**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे/स्वयं के निर्णय की/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा।

**13— कार्यकारी निर्देश :-**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुद्रे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

**14— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**


**15— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।**

**16— योजना का क्रियान्वयन**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
24.9.15

(श्रीमति शारदा वर्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

## (नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2014  
के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र

- 1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता
- 2— उद्योग का संगठन—
- 3— उद्यमी का वर्ग—
- 4— फैक्ट्री स्थल —  
स्थान  
विकास खंड  
जिला
- 5— ई0एम0पार्ट-1 एवं ई0एम0पार्ट-2 क्रमांक व दिनांक
- 6— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक —
  - 6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता
  - 6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
  - 6.3 स्थायी पूँजी निवेश (रु. लाखों में) —
- 7— परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी—
  - अ— मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा प्रमाणन क्रमांक जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है
  - ब— प्रोजेक्ट कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि
  - स— क्लेम राशि
  - द— कंसलटेंट द्वारा दर्शाई गई सकल पूँजीगत लागत
- 8— रोजगार

श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग			
कुशल वर्ग			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग			
योग			

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

संलग्न:- (1) ई.एम. पार्ट-1

(2) ई.एम. पार्ट-2

(3) वाणिज्यिक कर उत्पादन प्रमाण पत्र

(4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट से संबंधित प्रमाण पत्र कंसलटेंट

(5) प्रमाणिज परियोजना प्रतिवेदन की प्रति (प्रोजेक्ट कंसलटेंट व औद्योगिक इकाई से प्रमाणित)

## // शपथ पत्र //

मैं ..... आत्मज ..... प्रबंध संचालक / संचालक /  
एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई .....  
जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री ..... में स्थित है,  
जिसका ई०ए० पार्ट-१ क्रमांक ..... ई०ए० पार्ट-२ क्रमांक .....  
..... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ..... है  
निम्नानुसार घोषणा करता हूँ :-

1— उपरोक्त पंजीकरण / प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / उद्योग संचालनालय / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि�० द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त कन्सल्टेंट ..... से ..... उद्योग की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रूपये ..... (अक्षरों में) रु ..... का भुगतान किया गया है ।

2— औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन / अन्य किसी राज्य शासन के किसी विभाग / निगम / मंडल / बोर्ड / आयोग / वित्तीय संस्थाओं / बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / राज्य शासन / अन्य किसी राज्य शासन के विभाग / निगम / मंडल / बोर्ड / आयोग / वित्तीय संस्थाओं / बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किया है / अनुदान प्राप्त किया है ।

3— यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

4— यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय / प्रशासकीय पदों पर 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5— उपरोक्त जानकारी गलत / त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राषि मय निर्धारित 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

स्थान :

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व  
पता

**औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट-2**  
**संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)**

**(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –**

- (1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
- (2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
- (3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
- (4) आरा मिल (सॉ मिल)
- (5) लेदर टैनरी
- (6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
- (7) किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग
- (8) मिनरल वाटर
- (9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
- (10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
- (11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
- (12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग
- (13) स्टोन क्रेशर / गिट्टी निर्माण
- (14) स्पंज आयरन
- (15) विलंकर
- (16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

**(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –**

- (1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
- (2) हालर मिल
- (3) मुरमुरा मिल
- (4) राईस ब्रान आधारित साल्वेट एक्सट्रैक्शन प्लांट
- (5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी
- (6) मिनी सीमेंट प्लांट
- (7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

**टीप –** संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

## [ नियम 7.1 (3) ]

(परियोजना प्रतिवेदन से संबंधित व्ययों का प्रमाण पत्र)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र)

(लेटर हैड पर) - मूल प्रति में

औद्योगिक इकाई ..... जिसका पंजीकृत पता .....  
..... है व फैकट्री ..... में स्थित है व जिसका ₹०एम० पार्ट-१ का क्रमांक .....  
....., ₹०एम० पार्ट-२क्रमांक ..... , एवं  
वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ..... है, ने  
परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट ..... से तैयार  
करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक ..... तक  
किया गया व्यय रुपये ..... (अक्षरों में) ..... निम्नानुसार प्रमाणित  
किया जाता है :-

क्र०	परियोजना प्रतिवेदन एजेन्सी का नाम एवं परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु	देयक क्रमांक / रसीद नं.	परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	योग			

स्थान  
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता  
सील

हस्ताक्षर  
पंजीयन पत्र क्रमांक

“उपाबंध-4”

(नियम 7.1)  
( अभिस्वीकृति )

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स ..... पता.....  
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम  
2014 ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.....  
(अक्षरी) ..... को प्राप्त हुआ है। प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .....  
है।

टीप:- भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें।

स्थान  
दिनांक

हस्ताक्षर  
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय  
सील

प्रति,

मेसर्स.....  
.....  
.....

(नियम 7.3)  
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

- 1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता
- 2— उद्योग का संगठन—
- 3— उद्यमी का वर्ग—
- 4— फैकट्री स्थल –  
स्थान  
विकास खंड  
जिला
- 5— ई0एम0 पार्ट-1 का विवरण एवं दिनांक
- 6— ई0एम0 पार्ट-2 का विवरण एवं दिनांक
- 7— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण एवं दिनांक
- 8— स्थायी पूँजी निवेश (रु0 लाखों में)
- 9— परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी—
  - अ— मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का नाम व पता तथा अनुमोदन क्रमांक –  
जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है
  - ब— क्लेम राशि
  - स— कंसल्टेंट को भुगतान की गयी राशि
  - द— कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई सकल पूँजीगत लागत
- 10— उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है

11— रोजगार संबंधी टीप

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
	महायोग					

12— औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये .....  
व्यय राशि में .....रु. मान्य है व अमान्य की गई राशि रु0.....है  
जिसके कारण निम्नानुसार है :—

- 1—
- 2—
- 3—
- 4—

13— अभियान / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :  
दिनांक:

नाम  
पद

## (नियम 7.3)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत  
अनुदान स्वीकृति आदेश  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक  
द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2014 के नियम  
क्रमांक "7.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन परियोजना  
प्रतिवेदन अनुदान के भुगतान की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती  
है :—

- 1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता : .....
  - 2— उद्योग का स्वरूप : .....
  - 3— उद्यमी का वर्ग : .....
  - 4— उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता— .....
  - 5— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .....
  - 6— औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—  
(स्थान, विकास खंड व जिला ) .....
  - 7— परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय— .....
  - 8— स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)
- (2) यह राशि वित्तीय वर्ष— ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
- .....  
.....

- (3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त  
कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश  
निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र